



75  
आज़ादी का  
अमृत महोत्सव

# महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya  
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)  
(A Central University Established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

डॉ. शंभू जोशी /Dr. Shambhu Joshi

27/2022-23/2050/113

एसोशिएट प्रोफेसर एवं लोक सूचना अधिकारी

दिनांक : 04/01/2023

Associate Professor & Public Information Officer

महोदय,

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत दिनांक 12.11.2022 का आवेदन (कार्यालय में दिनांक 25.11.2022 को प्राप्त) का संदर्भ ग्रहण करें। संबंधित इकाईयों से प्राप्त सूचना अनुसार वांछित जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	मांगी गई सूचना	प्रदान की गई सूचना
1	Please provide me with a certified copy of the implementation report or action taken to report or steps taken in reference to the Chief Commissioner for Persons with disabilities letter dated 16.03.2021 (Case No.12474/ 1101 / 2020) giving recommendations in regard to the implementation of Accessibility features in Universities / Colleges for persons with disabilities via an e-mail dated 18.03.2021. (Copy of letter enclosed)	दिव्यांगजनों के लिए अधिकांश भवनों में शौचालय एवं रैम्प की सुविधा उपलब्ध करायी जा चुकी है। कुछ भवनों में लिफ्ट की सुविधा उपलब्ध करायी गई है। जिन भवनों में दिव्यांगजनों के लिए विशेषकृत शौचालय की सुविधा नहीं है उन भवनों के लिए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, नागपुर को पत्र प्रेषित किया जा चुका है। (संलग्नक कुल 03 पृष्ठ)

अगर आप प्रदत्त सूचना के संदर्भ में अपील करना चाहते हैं तो अपीलीय अधिकारी को इस पत्र के प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर नीचे दिए गए पते पर अपील कर सकते हैं -

प्रथम अपीलीय अधिकारी

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय,  
पोस्ट - हिंदी विश्वविद्यालय, गांधी हिल्स, वर्धा-442001, महाराष्ट्र  
फोन नं. 07152-230902, फैक्स - 07152-247602

संलग्नक : कुल पृष्ठ 03 संलग्न है।

भवदीय  
  
(शंभू जोशी)  
04/01/2023